

## वनमण्डलाधिकारी द्वारा, निर्धारित चेकलिस्ट अनुसार स्थल निरीक्षण विवरण

उमरिया वनमण्डल के अन्तर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद पाली जिला उमरिया (म.प्र.) द्वारा पाली-बनौदा मार्ग से मैकी कोल के घर होते हुए रामदीन कोल के घर तक सीसी रोड निर्माण हेतु प्रस्तावित वनभूमि 0.910 हे० का दिनांक 13.07.2021 को मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। विवरण निम्नानुसार है -

क्र०	विवरण	स्थल निरीक्षण विवरण
1.	प्रस्तावित वनभूमि (हेक्टेयर में)।	0.910 हे०
2.	व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वनभूमि का स्थान (अंक्षांश-देशान्तर)।	आर०एफ० 575 N 23°23'15" E 081°02'49" से N 23°22'9" E 081°03'50" तक N 23°22'46" E 081°03'38" से N 23°22'46" E 081°03'28" तक
3.	वनभूमि की कानूनी स्थिति (आरक्षित वन/संरक्षित वन/राजस्व वनभूमि या किसी भी अन्य वनभूमि)	आरक्षित वन
4.	प्रस्तावित वनभूमि का अस्थायी केन्स आदि के साथ सीमांकन किया गया	आवेदक संस्था एवं वन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित वनभूमि का सीमांकन कर संयुक्त स्थल सत्यापन किया गया है।
5.	अतिक्रमण का कोई संकेत।	अतिक्रमण के कोई संकेत नहीं है।
6.	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वनभूमि या उससे लगे गैर वनभूमि के भीतर उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा कोई गतिविधि कर लिया गया हो तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत उपयोगकर्ता एजेन्सी के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण।	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम का उल्लंघन होना नहीं पाया गया है।
7.	वनस्पति की स्थिति। साईट की गुणवत्ता। प्रजातियों की संरचना।	मिश्रित प्रजाति के वन है, गुणवत्ता श्रेणी IVB है।
8.	वन्यजीवों के दृष्टिकोण से क्षेत्र का महत्व। वन्यजीव की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों की अधिकता, पक्षी, सरीसृप, तितलियों और अनुसूचित वन्यप्राणी, किसी भी लुप्तप्रायः की बहुतायत)। प्रस्तावित क्षेत्र में वन्यजीवों की वर्तमान गणना।	क्षेत्र में वन्यप्राणियों की उपस्थिति न्यूनतम है।
9.	प्रस्तावित क्षेत्र में वनस्पतियों/जीवों या किसी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की क्षतिपूर्ति।	कोई अद्वितीय परिस्थिति तंत्र मौजूद नहीं है।
10.	प्रस्तावित क्षेत्र कार्यआयोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रबंधित है अथवा नहीं।	प्रचलित कार्य आयोजना अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण प्रबंधन कार्यवृत्त के अन्तर्गत प्रबंधित है।
11.	ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तावित क्षेत्र का महत्व।	ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व का क्षेत्र नहीं है।
12.	प्रस्तावित क्षेत्र पर व्यक्तियों/परिवारों की निर्भरता।	प्रस्तावित भूमि पर व्यक्तियों/परिवारों की निर्भरता नहीं है।
13.	प्रस्तावित क्षेत्र से व्यक्तियों/परिवारों का विस्थापन।	विस्थापन की स्थिति नहीं है।
14.	प्रस्तावित क्षेत्र से विस्थापित व्यक्तियों/परिवार के लिए पुनर्वास/पुनर्स्थापन की योजना है। क्या विस्थापित होने	प्रस्तावित क्षेत्र से व्यक्तियों की असहमति के प्रकरण प्रकाश में नहीं आये है।

	वाले प्रस्ताव से व्यक्तियों में असंतोष हैं।	
15.	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वनभूमि या गैर-वनभूमि पर हैं। वृक्षारोपण हेतु स्थल की उपयुक्तता। अगर बिगड़े वनभूमि में हैं तो कार्यआयोजना प्रावधान अनुसार विवरण। यदि वृक्षारोपण गैर वनभूमि में प्रस्तावित है तो निकटतम वनक्षेत्र से दूरी। दूरी कि०मी० में होने की स्थिति में पैच की संख्या।	वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।
16.	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए साथ ही निकटतम संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी 10 कि०मी० से अधिक होनी चाहिए।	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमा 10 कि.मी. के बाहर है।
17.	प्रस्तावित क्षेत्र में आदिवासियों की निर्भरता। क्या इस क्षेत्र में आदिवासियों के अधिकार को मान्यता दी गई है।	वन अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता नहीं दी गई है।
18.	परियोजना की उपयोगिता, जिसमें परियोजना के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग शामिल हैं।	परियोजना की स्वीकृति से स्थानीय लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।
19.	नवीनीकरण के मामले में क्या पहले की स्वीकृत आदेश में निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन आवेदक संस्था द्वारा किया गया है।	नवीन आवेदन।
20.	गैर-साइट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वैकल्पिक विकल्प।	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा अन्य विकल्प प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।
21.	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि का गैर वानिकी उद्देश्य के लिए न्यूनतम वनभूमि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।	उपयोगकर्ता एजेन्सी न्यूनतम वनभूमि उपयोगिता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
22.	यह सुनिश्चित करते हुए कि वृक्षों के विकास में कोई भी गुंजाइश, प्रस्तावित क्षेत्र का व्यपवर्तन जिस उद्देश्य से किया जा रहा है, पर भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं।	सड़क निर्माण होने से वृक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
23.	किसी अन्य महत्व का मुद्दा।	निरंक
24.	परियोजना की स्वीकृति के लिए कारण सहित वनमण्डलाधिकारी की विशिष्ट सिफारिश।	परियोजना साइट स्पेसिफिक है। राष्ट्रीय विकास हित में है, 0.910 हे० वनभूमि की मांग न्यूनतम है, जिसकी अनुशंसा की जाती है।

स्थान - उमरिया  
दिनांक- 13.07.2021

  
 (मोहित सूद)  
 भा.व.से.  
 वनमण्डलाधिकारी  
 वनमण्डल उमरिया (म०प्र०)